न्यायालय जिला कलक्टर गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी डॉ0 गौरव सैनी

अपील संख्या 63/23

तारीख रज्जू– 04/12/23

1. मुरारी पुत्र गोविन्दा जाति माली निवासी नन्दपुरा तहसील गंगापुर सिटी।

–अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार बरनाला ।

–रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 25/06/2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार बरनाला द्वारा मिसल संख्या 185/2022 में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम सुमेल के आराजी ख0नं0 1695/1132 रकबा 0.05 है0 किस्म गै0मु0नाला पर अनाधिकृत रूप से अतिकमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से एवं सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि भूलवश उक्त वाद आराजीयात अपीलान्ट के कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि के समीप होने के कारण सहवन से काश्त हो गयी थी। जिस पर अपीलाण्ट ने अपना कब्जा हटा लिया है व वर्तमान में अपीलान्ट का भूमि हाल खसरा नम्बर 1695/1132 रकबा 0.05 है0 वाके ग्राम सुमेल पर कोई कब्जा नहीं है। अपीलाण्ट गरीब कृषक काश्तकार है तथा कानून कायदे से अनभिज्ञ है। अपीलान्ट ने कई मर्तबा पटवारी हल्का को अपनी खातेदारी की भूमि की पैमाइश हेतु निवेदन किया कि अपीलाण्ट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1134 रकबा 0.66 है0 वाके ग्राम सुमेल की पैमाइश करके पत्थरगढी करे ताकि भविष्य में किसी प्रकार से भूलवश राजकीय भूमि काश्त ना हो। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिकमण होना बताया है, लेकिन अदालत मातहत की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। जिससे अपीलान्ट का उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में अतिकमण होना साबित होता है। अपीलान्ट का उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में अतिकमण नहीं था तथा पटवारी हल्का से प्राप्त मौका

25/6/24

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)

रिपोर्ट दिनांक 29.05.2024 के अनुसार भी वर्तमान में मौके पर अतिकमी (अपीलान्ट) मुरारी पुत्र गोविन्दा जाति माली नि0 नन्दपुरा का उक्त वाद आराजीयात पर किसी प्रकार का कोई अतिकमण व कब्जा नहीं है, साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिकमित आराजी पर अपीलार्थी का अतिकमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

दोनों पक्षों की बहस सुनने,उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया । जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में पश्चातवर्ती अतिकमण होना अंकित किया हुआ है। पटवारी हल्का से प्राप्त नवीनतम मौका रिपोर्ट दिनांक 29.05.2024 के अनुसार अपीलार्थी द्वारा उक्त वाद आराजीयात पर कोई अतिकमण/कब्जा नहीं है ,लेकिन अपीलार्थी द्वारा भविष्य में उक्त आराजी पर पुनः अतिकमण किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । इसलिए अपीलार्थी को भविष्य में उक्त आराजी पर अतिकमण नहीं किये जाने हेतु पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त विवचेना के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से इस निर्देश के साथ स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी एक शपथ पत्र इस आशय का "अपीलार्थी भविष्य में उक्त आराजी पर अतिकमण नहीं करेगा एवं यदि वह अतिकमण करता है तो उसके बाद होने वाली समस्त कार्यवाही का वह स्वयं जिम्मेदार होगा " इस निर्णय से 15 दिवस के अन्दर न्यायालय नायब तहसीलदार बरनाला में एवं प्रति इस न्यायालय में पेश कर देता है तो अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय में अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा की हद तक निरस्त माना जावे अन्यथा सिविल कारावास की सजा यथावत मानी जावे । शेष आदेश शास्ति , बेदखली व फसल निलामी को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25/06/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/6/24

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)